

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 237 / 13

संस्थापन दिनांक:-19 / 07 / 13

फाईलिंग नं. 233504001272013

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

संदीप पिता युवराज अतुलकर,  
 उम्र 25 वर्ष, निवासी गंज आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 26.11.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.07.2013 को दोपहर 12:10 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, मूठ की लंबाई 4 इंच एवं फन की चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 12.07.2013 को प्रधान आरक्षक बाबूलाल पवार को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेंड पर अभियुक्त हाथ में एक लोहे की छुरी लेकर आने जाने वालों को धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा और अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त की जिसे रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 188/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.07.2013 को दोपहर 12:10 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, मूठ की लंबाई 4 इंच एवं फन की चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

5 बाबूलाल पवार (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 12.07.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त लोहे की छुरी लेकर लोगों को धमका रहा है। सूचना पर उसने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा और अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 188/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी।

6 यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। संजू (अ.सा.-1) ने भी अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी संजू (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र बाबूलाल पवार (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 बाबूलाल पवार (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्त संदीप से एक लोहे की छुरी जप्त करना तथा उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से अभियुक्त से कथित आयुध गवाहों के समक्ष जप्त करना प्रकट हो रहा है परंतु जप्त करने के उपरांत उक्त आयुध को मौके पर सीलबंद किया गया हो ऐसा जप्ती पत्रक के अवलोकन से प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा जप्ती का समर्थन भी नहीं किया गया है। साक्षी बाबूलाल पवार (अ.सा.-3) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उक्त साक्षी के द्वारा मौके पर अभियुक्त से कथित आयुध को जप्त कर सीलबंद किया गया हो। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 12:10 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 12:10 बजे लेख है। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही एक ही समय पर की जाना संभव नहीं है। साथ ही अभियोजन के द्वारा रवानगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 12.07.2013 को दोपहर 12:10 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, मूठ की लंबाई 4 इंच एवं फन की चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त संदीप को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त शुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)